बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०
(बिहार सरकार का उपक्रम)
रजि० ऑफिस :– इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ
(बोरिंग कैनाल रोड), पटना– 800001
CIN No. : U00085BR1960SGC000665
GSTIN - 10AACCB0680Q1ZR

BIHAR STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
(A Govt. of Bihar Undertaking)
-: Registered Office :-
Indira Bhawan, Ram Charitra Singh Path
Boring Canal Road, Patna - 800 001
CIN No. : U00085BR1960SGC000665
GSTIN - 10AACCB0680Q1ZR

पत्रांक ......38/ITI......./पटना

दिनांक ..02..04..2024

आवश्यक सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड़ में कर्मचारियों के बकाया भुगतान हेतु चल रहे वाद सं0 WP (PIL) 6507/2010 के आदेशानुसार झारखंड सरकार द्वारा प्राप्त राशि 20 करोड़ रू0 से निगम की झारखंड स्थित पाँच इकाइ (HTIF, EEF, MCIF, SWF, राँची एवं BSSF, सिन्दरी) के आवास धारित/अन्य शेष बचे कर्मियों का उपादान एवं मार्च, 2016 तक के बकाया वेतन के भुगतान का निर्णय लिया गया है। भुगतान के पूर्व निम्नाकित आवश्यक सूचनाएँ निर्गत की जा रही है –

1. निगम की झारखंड स्थित इकाई (HTIF, EEF, MCIF, SWF, राँची एवं BSSF, सिन्दरी) के संबंधित आवास धारित/अन्य शेष बचे कर्मियों/वैधानिक आश्रितों को उपादान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
2. उपलब्ध राशि से HTIF, EEF, MCIF, राँची एवं BSSF, सिन्दरी के कर्मियों का अक्टूबर, 2009 से मार्च, 2016 तक एवं SWF के कर्मियों का अप्रैल, 2007 से मार्च, 2016 तक की अवधि के बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा।
3. निगम की झारखंड स्थित सभी इकाई के आवास धारित/अवैध कब्जाधारी कर्मियों का बकाया वेतन की भुगतेय राशि (Net payment) का भुगतान आवास खाली करने के पश्चात अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बकाया किराये का सामंजन के बाद शेष राशि भुगतान किया जायेगा।
4. जिन आवास धारित कर्मियों/आश्रितों का बकाया वेतन से अधिक आवास भाड़ा बकाया होगा या वेतन बकाया नहीं होगा, वैसे कर्मियों/आश्रितों से वसूली हेतु आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
5. सभी कर्मियों के भुगतान किये जा रहे अवधि (मार्च, 2016 तक) की भविष्य निधि की राशि BOT के खाते में जमा की जायेगी।

Fax/Phone : 0612-2532165, Email : bsidc_bsidc@rediffmail.com, Website : bsidc.in

6. इकाई कर्मियों/वैधानिक आश्रितों द्वारा उपादान एवं बकाया वेतन की मान्य राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान हेतु विहित प्रपत्र में भरकर (आधार, पैन, बैंक पासबुक/रद्द चेक/मृत्यु प्रमाण पत्र/वैधानिक आश्रितों का मान्य प्रमाण पत्र आदि की छाया प्रति) के साथ सूचना निर्गत की तिथि से 30 दिनों के भीतर हाई टेन्सन इन्सुलेटर फैक्ट्री (HTIF), नामकुम, राँची कार्यालय में जमा करें।

7. विहित प्रपत्र को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम कर्मचारी महासंघ (याचिकाकर्त्ता वाद सं० W.P. PIL 6507/2010) के द्वारा सत्यापित/पहचान कराते हुए ही कार्यालय में जमा करें, ताकि भुगतान सही कर्मियों/वैधानिक आश्रितों को किया जा सके।

8. मार्च, 2016 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का बकाये वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अन्य निगम के अनुरूप एक कालीय समझौता (One Time Settlement) के तहत किया जायेगा।

9. मार्च, 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान एक कालीय समझौता (One Time Settlement) के तहत आंशिक भुगतान मानाा जायेगा। शेष अवधि का भुगतान फंड उपलब्ध होने पर बाद में किया जायेगा।

10. जाँचोपरान्त अपूर्ण प्रपत्र अथवा आवश्यक वांछित कागजात/प्रमाण नहीं रहने पर भुगतान लंबित रहेगा।

सभी संबंधित कर्मियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त आलोक में वांछित कागजातों के साथ निर्धारित प्रपत्र भरकर समय सीमा के भीतर कार्यालय में जमा करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, राँची के आदेश के अनुपालनार्थ जल्द–से–जल्द भुगतान किया जा सके।

ह0/–
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 38/A   दिनांक 02.04.2024

प्रतिलिपि –

1. यूनिट हेड/इंचार्ज, HTIF, EEF, MCIF, SWF, Ranchi एवं BSSF, Sindri को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष/महामंत्री, बी0एस0आई0डी0सी0 कर्मचारी महासंघ, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/4/24

प्रबंध निदेशक

बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, पटना (BSIDC)

इकाई का नाम :– ....

1.	कर्मचारी का नाम/नामित का नाम	
2.	पदनाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	नियुक्ति की तिथि	
5.	अवकाश ग्रहण करने की तिथि	
6.	आधार नं0 (छायाप्रति के साथ)	
7.	पैन नं0 (छायाप्रति के साथ)	
8.	बैंक खाता सं0 (रद्द चेक की छायाप्रति या पासबुक के प्रथम पन्ने की छायाप्रति)	
	(1) आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड	
	(2) बैंक का नाम	
	(3) शाखा का नाम	
	मो0 नं0	

यह भुगतान माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड के वाद सं0 W.P. (PIL) 6507/2010 के आदेशानुसार एवं बिहार सरकार द्वारा पूर्व में अकार्यरत निगमों में बकाया वेतन संबंधी भुगतान में अपनायी गयी नीति के अनुरूप एक कालीय समझौता (One Time Settlement) के तहत भुगतान माना जायेगा। मैं इस भुगतान से संतुष्ट हूँ।

भुगतान वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली (RTGS) के द्वारा किया जायगा।

हस्ताक्षर